भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 692

24 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

जलवायु-अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचा

692. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार मानसून के दौरान बाढ़, जलभराव और सड़कों, जल निकासी और आवास जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों को होने वाले नुकसान जैसी आवर्ती समस्याओं के समाधान हेतु शहरी नियोजन और बुनियादी ढाँचे के विकास में जलवायु अनुकूलता को किस प्रकार शामिल कर रही है;

(ख) जलवायु-जनित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों से संवेदनशील समुदायों, विशेष रूप से अनौपचारिक बस्तियों और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आपदा तैयारी और पुनर्प्राप्ति प्रयासों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके;

(ग) सरकार शहरी अनुकूलता को मजबूत करने और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान समन्वय में सुधार करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, वास्तविक समय डेटा निगरानी और नवीन आपदा प्रतिक्रिया उपकरणों जैसी प्रौद्योगिकी का किस प्रकार उपयोग कर रही है; और

(घ) स्थायी और जलवायु-अनुकूल शहरी बुनियादी ढाँचे के निर्माण में संसाधन जुटाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित की जा रही वित्तीय रणनीतियों, प्रोत्साहनों या साझेदारियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन राज्य सरकारों और शहरी स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज/ परामर्शिका दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं:

i . शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014:

https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf

ii. शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/SOP%20Urban%20flooding_5%20May%202017.pdf

iii. 2021 में नदी केंद्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश, ताकि शहरों को प्रकृति-आधारित समाधान सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके।

https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf

iv. वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण पर मार्गदर्शी दस्तावेज़

https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत, वर्षा जल निकासी एक स्वीकार्य घटक था, जिसमें बाढ़ को कम करने और बाढ़ की समस्या समाप्त करने के लिए नालियों/वर्षा जल निकासी नालियों का निर्माण और सुधार कार्य शामिल था। अमृत के अंतर्गत, 3016.82 करोड़ रु. लागत की 838 वर्षा जल निकासी परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया था। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2,401.38 करोड़ रु. लागत वाली 809 वर्षा जल निकासी परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3,759 स्थानों पर जलभराव की समस्या समाप्त की गयी है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, जलाशयों और कुओं का पुनरुद्धार मुख्य घटकों में से एक है। इसके अंतर्गत स्वीकार्य तत्वों में वर्षा जल को वर्षा जल नालियों के माध्यम से जलाशयों (जिसमें सीवेज/अपशिष्ट नहीं मिल रहा है) में संचयित करना शामिल है। अमृत 2.0 के अंतर्गत, अब तक 6,210.66 करोड़ रु. लागत की 3,032 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, अमृत के तहत "अमृत शहरों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित मास्टर प्लान के निरूपण" पर एक उप-योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। इस उप-योजना के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित डिजाइन और मानक दस्तावेजों के अनुसार जियो डेटाबेस बनाया गया है। इसके

अलावा, अमृत 2.0 के तहत, 50,000 - 99,999 की आबादी वाले वर्ग- II शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के निरूपण संबंधी उप-योजना शुरू की गई है। इस उप-योजना के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित डिजाइन और मानक दस्तावेजों के अनुसार बहुत उच्च रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेज या ड्रोन तकनीक के माध्यम से जियो डेटाबेस बनाया गया है । आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ सैटेलाइट इमेज के माध्यम से और सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ड्रोन तकनीक के माध्यम से जियो डेटाबेस बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार शहरी बाढ़ों के प्रबंधन के लिए भी भू-स्थानिक डेटा का प्रयोग कर सकती है।

शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने बजट 2025-26 में 'शहरों को विकास के केंद्र के रूप में', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वित करने हेतु 1 लाख करोड़ रु. के शहरी चुनौती कोष की स्थापना की घोषणा की है। यह कोष बैंक से ऋण प्राप्त करने योग्य परियोजनाओं की लागत के 25 प्रतिशत तक का वित्तपोषण करता है, बशर्ते कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक ऋण और सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) से वित्तपोषित किया जाए।

*****